**भारत सरकार**

**केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण**

**राजभाषा अनुभाग**

**विषय: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22 जून, 2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त- अनुवर्ती कार्रवाई का अनुरोध।**

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22 जून, 2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचना एव आवश्यक कर्रवाई हेतु संलग्न है। प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया कार्यवृत्त की सुसंगत मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट **दिनांक 15 जुलाई, 2021** तक इस अनुभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by USHA VERMA
Date: 2021.06.30 23:02:43 IST

संलग्न: यथोपरि

सहायक निदेशक (राजभाषा)

सेवा में

1. अध्यक्ष, केविप्रा के निजी सचिव
2. सभी सदस्य, केविप्रा
3. प्रधान मुख्य अभियंता 1 एवं 2
4. सचिव, केविप्रा
5. केविप्रा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
6. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), विद्युत मंत्रालय, रफी मार्ग, नई दिल्ली-11001
7. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, भीकाजी कामा प्लेस, आरके पुरम, नई दिल्ली।

**केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जी-मीट के माध्यम से दिनांक 22 जून, 2021 को आयोजित वर्चुअल बैठक का कार्यवृत्त**

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री दिनेश चंद्रा, अध्यक्ष, केविप्रा एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में दिनांक 22 जून, 2021 को अपराह्न 3.30 बजे जी-मीट के माध्यम से प्रारंभ हुई तदुपरांत अध्यक्ष, केविप्रा के अन्य बैठक में व्यस्तता के कारण बैठक की अध्यक्षता श्री गोरिट्याला वीरा महेन्दर, सदस्य (ई एंड सी) द्वारा की गई। बैठक में कुल 48 अधिकारियों ने प्रतिभागिता की। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों/अधिकारियों की सूची अनुबंध में दी गई है।

बैठक के आरंभ में श्री उपेन्द्र कुमार, राजभाषा प्रभारी एवं मुख्य अभियंता, पीसीडी ने आदरणीय श्री दिनेश चंद्रा, अध्यक्ष, केविप्रा एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा विशेष रूप से आमंत्रित केविप्रा के सम्मानित सदस्य श्री गोरिट्याला वीरा महेन्दर, सदस्य (ई एंड सी) एवं अतिरिक्त प्रभार, सदस्य (योजना), श्री बी के आर्या सदस्य (जीओडी), श्री गौतम रॉय, सदस्य (विद्युत प्रणाली) और केविप्रा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस बैठक की कार्यसूची संक्षेप में बताई तथा आगे की चर्चा के लिए वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी को आमंत्रित किया। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बैठक में जी-मीट के माध्यम से जुड़े सभी पदाधिकारियों का अभिवादन करने के उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची की मदों पर विस्तार से चर्चा आरंभ की।

**मद सं. 1: पिछली बैठक के कार्यवृत्त की विभिन्न मदों की पुष्टि।**

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 22 मार्च, 2021 तत्कालीन अध्यक्ष, केविप्रा की अध्यक्षता में जी-मीट के माध्यम संपन्न हुई थी। अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरांत बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 30 मार्च, 2021 को कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा बैठक में हुई चर्चा/निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई का अनुरोध करते हुए भिजवा दिया गया था। उन्होंने बताया कि कार्यवृत्त पर किसी भी प्रभाग/अनुभाग से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि किए जाने का आग्रह किया।

**अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से इस संबंध में अपनी सहमति प्रदान की।**

**मद सं. 2 : केविप्रा की दिनांक 22 मार्च, 2021 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।**

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अवगत कराया कि पिछली बैठक में मुख्यत: निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई थी:

I. **केविप्रा के प्रभागों/अनुभागों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय से राजभाषा अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करना-** इस संबंध में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अवगत कराया कि केवल कुछ प्रभागों/ अनुभागों को छोड़कर तिमाही रिपोर्ट समय से प्राप्त नहीं हो रही हैं, जिसके कारण इन्हें समेकित कर मंत्रालय/राजभाषा

विभाग भिजवाने में विलंब होता है। मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट अभी तक समेकित नहीं की जा सकी है, क्योंकि अभी भी केविप्रा के एक प्रभाग की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

राजभाषा प्रभारी ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि आईटी प्रभाग की मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तथा आईटी प्रभाग के प्रतिनिधि से इस संबंध में स्पष्ट करने को कहा। आईटी प्रभाग के प्रतिनिधि श्री जे एन प्रसाद, निदेशक ने बताया कि प्रभाग की रिपोर्ट तैयार कर मुख्य अभियंता के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है किंतु अत्यधिक व्यस्त होने के कारण मुख्य अभियंता, आईटी ने उसका अवलोकन एवं अनुमोदन अभी नहीं किया है।

आईटी प्रभाग एवं अन्य सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध किया गया कि यदि किसी कारणवश किसी प्रभाग/अनुभाग के प्रमुख लंबी अवधि तक व्यस्त हैं, तो संबंधित प्रभाग/अनुभाग के नोडल (डी सी ओ) अधिकारी अपने हस्ताक्षर से रिपोर्ट राजभाषा को भिजवा दें। आईटी प्रभाग के प्रतिनिधि ने तिमाही रिपोर्ट तत्काल भिजवाने का आश्वासन दिया।

**अध्यक्ष महोदय ने इस पर सहमति जताई तथा सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों से तिमाही रिपोर्टें समय से भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।**

**(कार्रवाई- केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग)**

II. **केविप्रा के प्रभागों/अनुभागों द्वारा मूल हिंदी पत्राचार में वृद्धि करना, ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके-** वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ किए गए हिंदी के मूल पत्राचार में विगत तिमाही की तुलना में मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही में कुछ वृद्धि हुई है, तथापि लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अभी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

**अध्यक्ष महोदय ने केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों को हिंदी के मूल पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्मिकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।**

**(कार्रवाई- केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग)**

III. **संसदीय राजभाषा को दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना एवं लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ कर्मियों को प्रेरित करना-** वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों की अनुपालनात्मक रिपोर्ट मंत्रालय को भिजवा दी गई है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं:

**क. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना समस्त कार्य हिंदी में करना-** वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार मुख्य अभियंता एवं राजभाषा प्रभारी के हस्ताक्षर से हिंदी में प्रवीण केविप्रा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय ज्ञापन जारी कर पुन: स्मरण कराया गया है कि वे अपना समस्त राजकीय कार्य हिंदी में करें।

**ख. हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य अनुभव के आधार पर स्वयं को प्रवीण घोषित करना अथवा प्रवीणता हेतु यथोचित प्रशिक्षण प्राप्त करना-** वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि राजभाषा प्रभारी के हस्ताक्षर से केविप्रा के सभी हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यालय ज्ञापन जारी कर अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में अभी तक

5 अधिकारियों ने अपने कार्य अनुभव के आधार पर स्वयं को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त घोषित किया है, उन अधिकारियों को भी अपना समस्त कार्यालयी कार्य हिंदी में करने के लिए अध्यक्ष केविप्रा से व्यक्तिश: आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ-साथ इस वर्ष हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए आयोजित किए जाने वाले यथोचित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं उसकी समय सारणी की जानकारी प्रदान करने के लिए राजभाषा विभाग को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है।

**ग. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का भी हिंदी में उत्तर दिया जाना-** वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि यद्यपि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2021-22 के वार्षिक कार्यक्रम एवं निर्धारित लक्ष्यों में इस विषय में कोई दिशानिर्देश नहीं हैं, किंतु संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि हिंदी भाषी प्रदेश अर्थात् 'क' क्षेत्र में स्थित होने के कारण केविप्रा द्वारा 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का भी हिंदी में उत्तर दिया जाए। इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी कर केविप्रा के सभी सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों से अपने अधीनस्थ कार्मिकों को प्रेरित करने का अनुरोध किया गया है।

**घ. न्यूनतम 75 प्रतिशत टिप्पणियां हिंदी में लिखना-** वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सूचित किया कि मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही में हिंदी टिप्पणियों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया गया है तथा केविप्रा की समग्र हिंदी टिप्पणियों का प्रतिशत 76 से अधिक है, तथापि कुछ प्रभाग/अनुभाग जो लक्ष्य के अनुरूप हिंदी में टिप्पणियां नहीं लिख रहे हैं, उन्हें इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में भी इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे।

**अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रभागों/अनुभागों को उपर्युक्त सभी बिंदुओं का अनुपालन करने के निर्देश दिए।**

**(कार्रवाई: केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग)**

**मद सं. 3: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रभागों एवं अनुभागों द्वारा किए गए पत्राचार की समीक्षा।**

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर, 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने, 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों को भेजे गए मूल पत्रों तथा फाइलों पर हिंदी में कार्य की स्थिति के बारे में समिति के सभी सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने सूचित किया कि विगत तिमाही की तुलना में मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान मूल पत्राचार में कुछ वृद्धि हुई है, किंतु अभी भी अनेक प्रभाग/अनुभागों को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। विगत तिमाही (दिसबर, 2020) के दौरान 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के साथ किए गए मूल पत्राचार का प्रतिशत क्रमश: 94.19, 93.32 तथा 85.51 था, जो मार्च, 2021 के दौरान क्रमश: 95.66, 94.5 एवं 86.89 है, जो विगत तिमाही से इस तिमाही में हुई प्रगति को दर्शाता है।

इस विषय पर आगे चर्चा करते हुए उन प्रभागों/अनुभागों की प्रशंसा की गई जिन्होंने लक्ष्य के अनुरूप हिंदी में मूल पत्राचार एवं फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियां लिखी हैं। साथ ही केविप्रा के उन प्रभागों/अनुभागों का भी उल्लेख

किया गया जिन्हें मूल पत्राचार एवं हिंदी में लिखी जाने वाली टिप्पणियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

**अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों से मूल पत्राचार एवं टिप्पण को अधिकाधिक हिंदी में करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्मिकों को प्रेरित करने का आह्वान किया।**

**(कार्रवाई: केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग)**

**मद सं. 4: संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 पर चर्चा।**

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष का एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें क्षेत्रवार कार्यालयों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए भी वार्षिक कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसे राजभाषा अनुभाग द्वारा केविप्रा की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया, साथ ही इसे केविप्रा वेबसाइट के राजभाषा नीति खंड में भी अपलोड किया गया है, ताकि केविप्रा मुख्यालय के सभी प्रभाग/अनुभाग तथा संबद्ध कार्यालय इनका अध्ययन कर इसमें विहित निदेशों का अनुपालन करें एवं वर्ष 2021-22 के लिए हिंदी में कार्य करने संबंधी विभिन्न लक्ष्यों के अनुरूप कार्यालयी कार्य करें।

यह भी अवगत कराया कि वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए अध्यक्ष केविप्रा ने एक कार्यशाला के आयोजन को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसे सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा इस बैठक के तुरंत पश्चात संचालित किया जाएगा। इस कार्यशाला में केवप्रा के सभी प्रभागों/अनुभागों के कार्मिकों के साथ-साथ दिल्ली स्थित केविप्रा के संबद्ध कार्यालय के कार्मिक भी जी-मीट के माध्यम से प्रतिभागिता कर लाभान्वित हो सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों से इस कार्यशाला में स्वयं प्रतिभागिता करने के साथ-साथ अपने अधीनस्थ कार्मिकों को भी अधिकाधिक संख्या में भाग लेने हेतु प्रेरित करने का आह्वान किया।**

**(कार्रवाई: केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग)**

**मद सं. 5: वर्ष 2021 के सितंबर माह के दौरान हिंदी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले हिंदी पखवाड़ा समारोह पर चर्चा।**

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सूचित किया कि केविप्रा में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है, जो हिंदी दिवस 14 सितंबर से प्रारंभ या समाप्त होता है। विगत वर्ष कोविड-19 के कारण सभी समारोह एवं प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित किए गए थे। उन्होंने विगत वर्ष आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं की संक्षिप्त जानकारी देते हुए इस वर्ष सितंबर माह में इन आयोजनों एवं प्रतियोगिताओं के विषय में बैठक में उपस्थित सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए।

राजभाषा प्रभारी का मत था कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए कार्यक्रमों को ऑन-लाइन आयोजित करना ही उचित होगा तथा यदि कोई सुझाव हों तो आगे भी सदस्य गण लिखित रूप से अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं, ताकि उनपर विचार कर यदि व्यावहारिक हो, तो आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा सके।

श्रीमती अनीता गहलोत, निदेशक प्रशासन का सुझाव था कि हिंदी पखवाड़े के मुख्य आयोजन के दिन विगत वर्षों भांति सीमित स्टाफ की उपस्थिति में केविप्रा के सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। सहायक निदेशक (राजभाषा) का मत था कि संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सुरक्षित दूरी का पालन करने से वह प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा जो सामान्य स्थितियों में होता है, तथापि इस विषय में आयोजन समिति का गठन होने के उपरांत विचार किया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा समयानुसार आयोजन समिति के गठन एवं हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करने के निर्देश दिए।**

**(कार्रवाई: केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग/राजभाषा अनुभाग)**

**मद सं. 6: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री तुलसी दास, अवर सचिव (कार्मिक) ने सुझाव दिया कि हिंदी की काव्य संगोष्ठियों में बाहरी कवियों को आमंत्रित न कर केविप्रा के ही इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिभागता से स्वरचित कविताओं का पाठ कराकर हिंदी काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया जाए।

इस विषय में राजभाषा प्रभारी का मत था कि आयोजन समिति का गठन होने के उपरांत आयोजनों की रूपरेखा तैयार करते समय इस विषय पर विचार किया जाएगा तथा केविप्रा के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा अनुभाग को पूर्व में ही अपनी प्रतिभागिता के बारे में सूचित कर सकते हैं, ताकि पखवाड़ा के समापन समारोह के दिन आभासी काव्य संगोष्ठी हेतु उचित समय आबंटित किया जा सके।

**अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए।**

**(कार्रवाई: केविप्रा के सभी अधिकारी/कर्मचारी/राजभाषा अनुभाग)**

अंत में मुख्य अभियंता, पीसीडी एवं राजभाषा प्रभारी ने अध्यक्ष महोदय, विशेष आमंत्रित सदस्यगण, केविप्रा एवं बैठक में उपस्थित समिति के सभी सदस्यों एवं अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

**अनुबंध**

**<u>बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची</u>**

| क्र.सं. | नाम<br>सर्व श्री/सुश्री | पदनाम | राजभाषा कार्यान्वयन समिति |
|---|---|---|---|
| 1. | दिनेश चंद्रा | अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. | गोरीत्याला वीर महेन्द्र | सदस्य, ई एन्ड सी | विषेष आमंत्रित |
| 3. | बी.के. आर्या | सदस्य, जी ओ एन्ड डी | विषेष आमंत्रित |
| 4. | गौतम रॉय | सदस्य, विद्युत प्रणाली | विषेष आमंत्रित |
| 5. | उपेन्द्र कुमार | मुख्य अभियन्ता, पीसीडी एवं राजभाषा प्रभारी | सदस्य |
| 6. | ईशान शरण | मुख्य अभियन्ता, पीएसपीए-I | सदस्य |
| 7. | एम. ए. ईमाम | मुख्य अभियन्ता, एफएस एन्ड ए | सदस्य |
| 8. | हेमन्त जैन | मुख्य अभियन्ता, जीएम | सदस्य |
| 9. | वी.के.सिंह | मुख्य अभियन्ता, पीएसपीएम | सदस्य |
| 10. | धीरज श्रीवास्तव | मुख्य अभियन्ता, टीईटीडी | सदस्य |
| 11. | रिशिका शरण | मुख्य अभियन्ता, एनपीसी | सदस्य |
| 12. | श्रवण कुमार | मुख्य अभियन्ता, एचपीए | सदस्य |
| 13. | अजय तालेगांवकर | मुख्य अभियन्ता, एफ एंड सीए | सदस्य |
| 14. | प्रदीप कुमार शुक्ला | मुख्य अभियन्ता, एचईपीआर एवं सचिव, केविप्रा | सदस्य |
| 15. | राकेश गोयल | मुख्य अभियन्ता, ओपीएम | सदस्य |
| 16. | जयदीप सिंह बावा | मुख्य अभियन्ता, एचपीआई | सदस्य |
| 17. | प्रदीप जिंदल | मुख्य अभियन्ता, पीएसपीए-II | सदस्य |
| 18. | विवेक गोयल | मुख्य अभियन्ता, डीपी एंड टी | सदस्य |
| 19. | मंगल हेम्ब्रम | मुख्य अभियन्ता, डीएम | सदस्य |
| 20. | रविन्द्र कुमार जेना | आर्थिक सलाहकार, आर्थिक नीति | सदस्य |
| 21. | मो. अफजल | मुख्य अभियन्ता, एफएम | सदस्य |
| 22. | अनिता गहलोत | निदेशक, प्रशासन | सदस्य |
| 23. | जेएन प्रसाद | निदेशक, आईटी | सदस्य प्रतिनिधि |
| 24. | चंद्र प्रकाश | निदेशक, आरए | सदस्य प्रतिनिधि |
| 25. | एन.के. गोपालकृष्णन | निदेशक, यूएमपीपी | सदस्य प्रतिनिधि |
| 26. | ओमकांत शुक्ला | निदेशक, टीईटीडी | सदस्य प्रतिनिधि |
| 27. | गिरधारी लाल | निदेशक, ओपीएम | सदस्य प्रतिनिधि |
| 28. | बी.एस.बैरवा | निदेशक, पीएसपीए-II | सदस्य प्रतिनिधि |
| 29. | ओ. पी. मीणा | निदेशक, आरपीएम | सदस्य प्रतिनिधि |
| 30. | अमित रॉय सिंघल | उप निदेशक, एचईआरएम | सदस्य प्रतिनिधि |
| 31. | मोहित मुद्गल | उप निदेशक, एसईटीडी | सदस्य प्रतिनिधि |
| 32. | राजीव कुमार मित्तल | उप निदेशक, टीपीएम | सदस्य प्रतिनिधि |
| 33. | सत्येन्द्र दोतन | उप निदेशक, पीएसपीए-II | सदस्य प्रतिनिधि |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34. | अनिता वर्मा | उप निदेशक, ओपीएम | सदस्य प्रतिनिधि |
| 35. | लवकुश सिंह | उप निदेशक, डीपी एंड टी | सदस्य प्रतिनिधि |
| 36. | अपूर्व आनंद | उप निदेशक, आईआरपी | सदस्य प्रतिनिधि |
| 37. | भूमिका बंगा | उप निदेशक, एफ एंड सीए | सदस्य प्रतिनिधि |
| 38. | तुलसी दास | अवर सचिव (कार्मिक) | सदस्य |
| 39. | जीतेश श्रीवास | सहायक निदेशक, पीएसपीए-I | सदस्य प्रतिनिधि |
| 40. | रवि कांत | सहायक निदेशक, पीएसपीएम | सदस्य प्रतिनिधि |
| 41. | आर. के. मीणा | सहायक निदेशक-2, जीएम | सदस्य प्रतिनिधि |
| 42. | सत्यम सोनी | सहायक निदेशक-2, ओपीएम | सदस्य प्रतिनिधि |
| 43. | प्रमोद जायसवाल | परामर्शदाता | राजभाषा |
| 44. | डॉ. ओम प्रकाश द्विवेदी | वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी | राजभाषा |
| 45. | अंजल कुमार विनय | कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी | राजभाषा |
| 46. | विकास कुमार | आशुलिपिक | राजभाषा |
| 47. | विनोद सिंह | आशुलिपिक | राजभाषा |
| 48. | ऊषा वर्मा | सहायक निदेशक (राजभाषा) | सदस्य सचिव |